

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 37/2019-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2019

सा.का.नि.... (अ) आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है), के नियम 61 के उप नियम (5) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 29/2019- केन्द्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 455 (अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना के, प्रथम पैरा के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“ परंतु जुलाई, 2019 मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, 22 अगस्त 2019 को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी :

परंतु यह और कि, जुलाई, 2019 मास के लिए उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी, रजिस्ट्रीकृत ब्यक्तियों के लिए, जिनके कारोबार का मूल स्थान नीचे दी गई तालिका के स्तभ (3) में उल्लिखित जिले में है, जो उक्त तालिका के स्तभ (2) में उल्लिखित राज्य में है, इलेक्ट्रॉनिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 20 सितंबर, 2019 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी :

तालिका

| क्र.सं. | राज्य का नाम | जिले का नाम |
|---------|--------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | बिहार | अररिया, किशनगंज, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, सीतामढी, शिवहर, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णियां, पश्चिम चंपारण |
| 2 | गुजरात | वडोदरा |
| 3. | कर्नाटक | बागलकोट, बल्लारी, बेलगाम, चामराजनगर, चिकमगलूर, दक्षिण कन्नड़, दावणगेरे, धारवाड़, गदग, हसन, हावेरी, कलबुर्गी, कोडागू, कोप्पल, मांड्या, मैसूरु, रायचूर, शिवमोगा, उडुपी, उत्तर कन्नड़, विजयपुरा, यादगिर |
| 4. | केरल | इडुक्की, मल्लापुरम, वायनाड, कोझिकोड |
| 5. | महाराष्ट्र | कोल्हापुर, सांगली, सतारा, रत्नागिरि, सिंधुदुर्ग, पालघर, नासिक, अहमदनगर |
| 6. | ओडिशा | बलांगीर, सोनपुर, कालाहांडी, नुआपाड़ा, कोरापुट, मलकानगिरी, रायगडा, नबरंगपुर |
| 7. | उत्तराखण्ड | उत्तरकाशी, चमोली |

परंतु यह भी कि, जुलाई, 2019 मास के लिए उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनके कारोबार का मूल स्थान जम्मू और कश्मीर राज्य में है, इलेक्ट्रॉनिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 20 सितंबर, 2019 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।”

2. यह अधिसूचना 20 अगस्त, 2019 से लागू होगी।

[फा.सं. 20/06/08/2019- जीएसटी]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण:- मूल अधिसूचना सं. 29/2019- केन्द्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. संख्यांक 455(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी।